तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.25	पत्रावली पेश। विद्यार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली मे वकील विद्यार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरकार पक्ष की ओर से तहसीलदार शिव द्वारा मौजा निम्बासर के खसरा नम्बर 12 रकबा 21.9177 हैक्टेयर खातेदारी भूमि मे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध रूप से आर्ड का निर्माण करवाया जाकर कृषि भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियों का नियम विरुद्ध संचालन होने पर विवादित आराजी से खातेदारान को बेदखल कर आराजी को रकबाराज घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। विद्यार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में जवाब व पूरक जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विद्यार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के संबंध में एक पंजीकृत पट्टा करार पट्टाग्रहिता के पक्ष में दिनांक 26.5.2024 से 25.5.26 तक की अवधि हेतु निष्पादित करवाया गया है। उक्त भूमि अस्थाई रूप से पवन ऊर्जा परियोजना (राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2023) के उपयोग में ली जा रही है। साथ ही राज० सरकार (ऊर्जा विभाग) के क्रमांक F. 20(13) Energy/23 दिनांक 06.10.2023 के तहत राजस्थान रिन्युवेबल एनर्जी पॉलिसी, 2023 के तहत	

रिन्यूवेबल एनर्जी हेतु किसी खातेदारी भूमि का बिना संपरिवर्तन किये अथवा बिना सक्षम अनुमति के अस्थाई रूप से उपयोग ली जा सकती है। साथ ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकार नवीनीकरण ऊर्जा नीति के तहत विकास को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अतः निवेदन है कि उक्त आराजी में रजि० लीज डीड निष्पादित होने तथा राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा नीति के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत होने से उक्त आवेदन सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि विवादित आराजी में बिना सक्षम अनुमति के गैर कृषि गतिविधियां होने से TDR शिव द्वारा आराजी को सरकार राज घोषित बाबत् आवेदन पेश किया गया है। विपक्षी वकील द्वारा पेश जवाब व बहस में स्पष्ट है कि वर्तमान में खातेदारान द्वारा उक्त आराजी का विधिपूर्ण पट्टा पट्टागृहिता के पक्ष में निष्पादित करवा दिया गया है, जिसकी प्रति भी पेश की गई है। चूंकि राजस्थान रिन्यूवेबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के तहत रिन्यूवेबल एनर्जी हेतु किसी खातेदारी भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये अस्थाई रूप से भू- उपयोग किया जा सकता है। साथ ही राजस्थान रिन्यूवेबल एनर्जी

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पॉलिसी 2023 से देश एवं प्रदेश के विकास को गति मिलने से उक्त ऊर्जा परियोजना राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। अतः उक्त स्थिति में वर्तमान में विवादित आराजी की पंजीकृत लीज डीड होने तथा राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2023 के तहत अस्थाई भू-उपयोग हेतु सक्षम अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं होने से उक्त आवेदन हाजा स्टेज पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner